कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक–7216/11–सी– FP/UP/Road/144204//2021 लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 1 5 ,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ (उ०प्र०) द्वारा मथुरा–बरेली मार्ग (एस०एच०–33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी कि०मी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज–2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधें, जनपद एटा हेतु 5.3244 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71. 6191 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधें अर्थात कुल 89.4116 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– FP/UP/Road/144204//2021

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक—8बी0/यू0पी0/06/181/2023/एफ0सी0/438, दिनांक—05.12.2023 महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–2368 / 14–1 दिनांक 09.04.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

अनुपम गुप्ता) (अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,, कि उ०प्र0, लखनऊ।

संख्या-3216/11-सी FP/UP/Road/144204//2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक,एटा, हाथरस एवं कासगंज।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ।

।ॐ (अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक∕नोडल अधिकारी,, जिउ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 3216/11-सी FP/UP/Road/144204//2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

> ८८ (अनुपम गुप्ता) प्रधान मुख्य वन संरक्षक∕नोडल अधिकारी, ह्य उ०प्र0, लखनऊ।



कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

सेवा में

पत्रांकः २ 368 4-1.(Proposal No. FP/UP/ROAD/144204/2021) दिनांकः अलीगढ़ः अप्रैलः ी, 2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:--

जनपद-हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई बदायूं (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी कि0मी0 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) गार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा हेतु 5.3244 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे, कुल 89.4116 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

1 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8 बी / यू0पी0 / 06 / 181 / 2023 / एफ.सी. / 438 दिनांक 05.12.2023 तथा आपका पत्रांक–11सी–1441 / FP/UP/ROAD/144204/2021 दिनांक 12.12.2023.

महोदय,

2 प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग,हाथरस का पत्रांक–2851/14–1,दिनांक 04.04.2024.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में जनपद-हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई बदायूं (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी कि0मी0 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा हेतु 5.3244 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे, कुल 89.4116 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैरवानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के पत्रांक-2851 / 14-1,दिनांक 04.04.2024 द्वारा संस्तुति सहित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग द्वारा संस्तुति सहित प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर आख्या निम्नानुसार संलग्न कर ऑनलाइन प्रेषित है:--

क 0स0	शर्त				अनुपालन आख्या
1		tatus of the forest land sha	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा इस आग्रय का प्रमाण एव संचयन है।		
2	cost of indigene	nsatory afforestation sh nent in an area of 180 ha. the User Agency. As fa bus species will be planted led. The details of CA are	के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष 180.00 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0		
	S.no.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha.)	Name of Forest Division.	12,91,85,180.00 (बारह करोड़ इक्यानवे लाख पिच्चासी हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र) ई-पेमेन्ट के माध्यम से ई-चालान बारा जमा कर चालान की छाया प्रति संलग्न है।
	1.	Reserve offrest land of papri Nagar Forest Block. in Pinhat Range.	10.00 ha.	Agra	
		Balai Forest Block in Pinhat Range	10.00 ha.		
		Seha Forest Block in Pinhat Range	10.00 ha.		
	2.	Ghori Compartment no. 4 Patehra Reange	80.00 ha.	Mirzapur	
	3.	shankarpur forest block in firozabad Range	10.00 ha.	Social Forestry Division Firozabad	
	.4.	Edon Forest Block in Fatehabad Range	10.00 ha.	Agra	
		Himaupur Forest Block in Fatehabad Range	10.00 ha.		

Panner,

	Rihawali Part I Forest Block in Fatehabad Range	10.00 ha.		
	Rihawali Part II Forest Block in Fatehabad Range	10.00 ha.		
	Silawali Forest Block in Fatehabad Range	10.00 ha.		
	Total	180 ha.		
3	The cost of compensatory afforest per compensatory afforestation demarcation and erection of perm land shall be deposited in advance project authority. The CA will be r may include appropriate provisio works scheduled for subsequent ye	प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष 180.00 हे भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू 12,91,85,180 (बारह करोड़ इक्यान लाख पिथ्चासी हजार एक सौ अस्सी रूप मात्र) ईपेमेन्ट के माध्यम से ईचाला- द्वारा जमा कर चालान की छाया प्रति संलग्न है।		
4	The State Government shall charge the 89.4116 ha. forest area to be di User Agency as per the orders of the dated 30/10/2002, 01/08/2003, 09/05/2008 in IA No. 566 in WI guidelines issued by the Ministry we dated 18/09/2003, as well as letter and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 Revised amount NPV as applicate and 19.01.2022 shall be deposited	proposal from the me Court of India 24/04/2008 and 5 and as per the 1/1998-FC(PL.II) dated 03/10/2006 dated 06.01.2022	उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क धनराशि 8,70,78544.00 (मु0 आठ करोख सत्तर लाख अठत्तर हजार पॉच स चौबालीस मात्र) ई—पेमन्ट पोर्टल व माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा क चालान की छायाप्रति संलग्न है।	
5	Additional amount of the NPV or becoming due after finalization of Court of India on receipt of the r shall be charged by the State Gover User Agency shall furnish an under	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।		
6	User agency shall restrict the felling of trees to 43,938 trees/minimum number in the diverted Forest land the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.			इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	The user agency to expolre transpl guidance of Forest Department and of such transplanted trees by Rese The details and location of such tra	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।		
8	Plantation scheme for roadside plantation including the plantation along bypasses needs to be submitted to compensate for the loss of felling of trees along road side.			इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्म है।
9	NOC from concerned dept. (like Ro to be submitted.	ad, Irrigation, Ra	ilways etc.) needs	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	As the area proposed, falls within the TTZ, therefore the permission of Hon'ble Supreme Court shall be obtained before tree felling.			टीटीजेड वेबसाइट पर उपलब्ध सीमा निर्देशांक के अनुसार एनएच-530बी 123.100 का प्रस्ताविक खंड टीटीजेड के अंतर्गत नहीं है और इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं। जिस हेतु प्रमाण पत्र अनुबंध-8 के रूप में संलग्न है।
11	No Violation of Forest (Conservation DFO shall be porvided.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।		
12	The complete compliance of the FR prescribed certificate from the conc	erned District Co	llector.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	Plantation shall be raised on both available) by the State Forest Depa as per submitted scheme according by NGT in OA No. 27/2015 in the Rajasthan and others Dated 16-11-2	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।		

PAnnt

14	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है
15	The user agency shall provide suitable under/ over pass in protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/REC.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है
16	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection)Acct, 1986 if available	
17	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	No labour camp shall be estabilshed on the forest land.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or The Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	
20	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project works.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details. Before commencement of work.	इस आशय को प्रमाण पत्र संलग्न है।
26	Any order of Temporary Work Permission in case of linear pojects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and apprspecifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Office (DFO) Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
28	MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9		इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
0		इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
1		इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

Band

	CA amount as per proposal	12,91,85,180.00
	CA amount deposited	12,91,85,180.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	8,70,78,544.00
	NPV amount deposited	8,70,78,544.00
	Difference in amount	
62	Reason for difference	-
	Any other amount deposited - (Penal NPV)	-
-	CAMPA confirmation	-

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बीठ प्रमार्कर) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी–वन संरक्षक, सुलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक— / १४—१—१, दिनांकित ।

1. प्रतिलिपिः- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

 प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ, उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपिः-- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, मिर्जापुर एवं फिरोजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(बीo प्रमाकर) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभारी– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।